Vol. 14, Sp. Issue: 1, December: 2025
ISSN: (P) 2347-5412 ISSN: (O) 2320-091X

भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं उनकी स्थिति

डॉ. उषा लहरे

अतिथि व्याख्याता (समाजशास्त्र),

शासकीय मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज, कोरबा, छत्तीसगढ़

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत में महिलाओं की स्थिति, उनके संवैधानिक अधिकारों तथा इन अधिकारों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की स्थिति निम्न रही है, जिसका प्रमुख कारण सामाजिक कुरीतियाँ, आर्थिक निर्भरता तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा से संबंधित अनेक अधिकार प्रदान किए, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ।

अध्ययन में यह पाया गया कि संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, किन्तु आज भी कुछ सामाजिक समस्याएँ उनके विकास में बाधक हैं। अतः महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं सामाजिक जागरूकता आवश्यक है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक स्थिति, लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं होती हैं। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में लंबे समय तक महिलाओं की संख्या निम्न रही तथा उनका विकास भी निम्न स्तर पर ही रहा, जिससे भारतीय समाज की सामाजिक परंपराओं से घिरी महिलाओं की स्थिति प्रभावित रही। लंबे समय तक भारतीय समाज में महिलाओं को आधुनिक अधिकार एवं संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल पाया।

भारतीय महिलाओं ने सदैव ही स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। परम्पराओं के इस दौर में भारतीय पुरुष प्रधान समाज ने यह विचार बना लिया कि स्त्रियां पुरुषों से निम्न स्तर पर हैं और नारी ने इस शिक्षा को भी मान लिया। किंतु इस परिवर्तनशील समय में उन्नत विचारों वाली महिलाओं एवं पुरुषों ने नारी को पुरुषों के बराबर मानकर उन्हें भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार हेतु प्रयास किया। उनका यह प्रयास समय-समय पर सफल होता गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आज महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने पर वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में सुविधाएं प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना रही हैं।

आज भारतीय समाज तेजी से उन्नति कर रहा है और इस उन्नति में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी कुछ सामाजिक कुरीतियाँ आज भी महिलाओं के विकास में बाधक हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है कि भारत में महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इन अधिकारों के मिलने से उनकी स्थिति में किस प्रकार सुधार हुआ, इसका वर्णन किया गया है।

भारत में महिलाओं की स्थिति एवं उसमें सुधार:

मनुस्मृति के अनुसार भारतीय समाज में यह मान्यता रही है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। और जहाँ उसे पूज्य नहीं माना जाता वहाँ सब कार्य निष्फल होते हैं। परन्तु इसके होते हुए भी भारत में नारी की स्थिति सदा हीन रही है। जिसे ठीक करने हेतु भारतीय समाज में नारी की स्थिति के विवेचन इस प्रकारों में किया जा सकता है—

Vol. 14, Sp. Issue: 1, December: 2025
ISSN: (P) 2347-5412 ISSN: (O) 2320-091X

1. पुरुष की अपेक्षा परिवार में स्त्री को कम महत्व

भारत में परिवार का एक रूप पितृसत्तात्मक है जिसमें परिवार में पुरुष (पिता) का ही निर्णय अंतिम माना जाता है। स्त्री को हर परिस्थितियों में उसके अधीन रहना पड़ता है।

2. सामाजिक दृष्टि से स्त्री पर पुरुष का संरक्षण

भारतीय समाज में स्त्री जाति को सदा पुरुष के संरक्षण में रहना ही रहना पड़ता है। यह कहा जाता है कि विवाह के पूर्व उसे अपने पिता के संरक्षण में रहना पड़ता है, विवाह के बाद उसे पति के संरक्षण तथा वृद्धावस्था में उसे अपने पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है। इससे उसमें स्वावलंबन व आत्मसम्मान की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाती।

3. आर्थिक दृष्टि से स्त्री का पुरुष पर निर्भर

भारत का सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा है कि अधिकांश स्त्रियाँ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने पति पर ही निर्भर रहती हैं। प्रायः पति कमाते हैं और पत्नियाँ उनकी कमाई से अपने सहित पूरे परिवार का खर्च चलाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के जीवन में काफी अंतर आया। अनेक क्षेत्रों में स्त्रियाँ कमाने लगीं, पर कमाने वाली स्त्रियों की संख्या आज भी नगण्य है। जो स्त्रियाँ कमाती हैं वे स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पातीं। उस स्थिति में उनके पति का ही अधिकार अधिक होता है। अतः स्त्रियाँ आज भी आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर हैं।

4. संकुचित दृष्टिकोण

भारतीय समाज की यह मान्यता है कि स्त्रियों का उचित स्थान घर है और उनका मुख्य कर्तव्य गृहिणी धर्म का पालन है। इस मान्यता का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियाँ स्वयं घर की चार-दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहतीं। इससे उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है।

5. घर से बाहर कार्यरत महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण

जो महिलाएँ शासकीय या अशासकीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जो साहस करके घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, उन्हें भारतीय समाज की रूढ़िवादी धारणाओं के कारण कुछ लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। तथा उनके चरित्र पर अनावश्यक रूप से लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। खेतों, कारखानों तथा अन्य अशासकीय क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण आक्रामक होता है।

6. शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की उपेक्षा

भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों की उपेक्षा सदा होती आई है। बहुत समय तक समाज में यह मान्यता रही है कि स्त्री पुरुष की दासी है। उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आधुनिक भारत में शिक्षा के संबंध में पुरानी मान्यताओं में कुछ परिवर्तन आया है। स्त्रियाँ भी शिक्षित होने लगी हैं, तथापि अब भी अधिकारों से वंचित हैं। आज भी भारतीय समाज का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदला नहीं है।

7. पर्दा प्रथा

भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन पूर्व काल से ही बना हुआ है। वर्तमान समय में अंतर अवश्य आया है, पर यह अंतर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। बहुत समय तक पर्दा प्रथा का भारतीय समाज में काफी कठोर रूप रहा है। महिलाएँ विवाह के बाद वह शक्ति रूप में ही घर से बाहर निकलती थीं। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा हेतु बुर्का का प्रयोग किया जाता रहा है। इसका परिणाम यह रहा कि महिलाएँ छेड़छाड़, उत्पीड़न व संगठित अपराधों की वजह से कमजोर पड़ती रहीं तथा शोषण का शिकार बनती रहीं।

8. बाल-विवाह, बहुविवाह तथा तलाक प्रथा

भारतीय समाज में अनेक वर्गों में बाल-विवाह जैसी कुप्रथाएँ लंबे समय तक चलती रही हैं। आधुनिक समय में भी भारत के कुछ हिस्सों में यह प्रथा चल रही है। इसका प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पढ़ाई पर पड़ता है।
बहु-विवाह प्रथा जो कि मुस्लिम समाज में पुरुष द्वारा चार विवाह करना उनके धर्म के अनुकूल माना जाता है। इस प्रथा के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति दासी जैसी हो जाती है। तलाक प्रथा में भी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया है।

Vol. 14, Sp. Issue: 1, December: 2025
ISSN: (P) 2347-5412 ISSN: (O) 2320-091X

9. वेश्यावृत्ति एवं महिलाओं का क्रय-विक्रय

भारतीय समाज में महिलाओं के क्रय-विक्रय की प्रथा प्राचीन काल से आज तक चलती आ रही है। इसके कारण स्त्रियों को लोगों ने व्यापार का साधन बना लिया। स्वतंत्रता के बाद भी यह अनैतिक व्यापार खुले या गुप्त रूप से चलता रहा। इसके कारण अनेक महिलाएँ समाज में अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर होती हैं तथा समाज के द्वारा भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता।

10. दहेज प्रथा का महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव

दहेज प्रथा भारतीय समाज में महिलाओं के लिए एक अभिशाप के रूप में है। विवाह के समय कन्या के अभिभावक उपहार स्वरूप कुछ धन तथा वस्तुएँ वर पक्ष को देते हैं। किन्तु भारतीय समाज में कुछ लोग विवाह से पूर्व या विवाह के समय दहेज की मांग करते हैं। यदि कन्या पक्ष द्वारा दहेज नहीं दिया जाता तो उसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं—

- जिन लड़कियों का विवाह दहेज की मांग को लेकर सम्पन्न कर दिया जाता है, किन्तु वर पक्ष की इच्छानुसार दहेज नहीं मिलता तो उन्हें ससुराल में अनेक यातनाएँ दी जाती हैं, कभी-कभी वे आत्महत्या तक कर लेती हैं।
- दहेज के कारण कई बार विवाह के अवसर पर ही विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण लड़कियाँ अविवाहित रह जाती हैं या उन्हें बोझ समझा जाता है।
- दहेज प्रथा के कारण समाज में कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगता है। परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

महिलाओं के कल्याण हेतु संवैधानिक अधिकार/प्रावधान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त कराते हैं, महिलाओं के अधिकारों को भी व्यवहारिक रूप देते हैं। इससे महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार परिलक्षित होती है—

- अनुच्छेद 14 – राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विधि के समक्ष समान अधिकार एवं अवसर।
- अनुच्छेद 15 – लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।
- अनुच्छेद 15(1) – राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15(3) – राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसर की समानता।
- अनुच्छेद 16(2) – राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर अपात्र नहीं ठहराया जाएगा।
- अनुच्छेद 19 – विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 21 – जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 23 – मानव व्यापार व बाल श्रम का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं के नियोजन की मनाही।
- अनुच्छेद 39 – (क) महिलाओं व पुरुषों दोनों को जीविका के पर्याप्त साधन मिलना चाहिए।
- अनुच्छेद 39(घ) – पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
- अनुच्छेद 39(ङ) – पुरुष व महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 42 – राज्य श्रम की न्यायसंगत व मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 47 – पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य।
- अनुच्छेद 51(क)(ई) – ऐसे प्रथा का त्याग जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो।
- अनुच्छेद 243(ग) – प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट आरक्षित।
- अनुच्छेद 243(घ)(4) – पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।

Vol. 14, Sp. Issue: 1, December: 2025
ISSN: (P) 2347-5412 ISSN: (O) 2320-091X

- अनुच्छेद 243(न)(3) – नगरपालिकाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।
- अनुच्छेद 243(न)(4) – नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद हेतु एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए।
- अनुच्छेद 325 – भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार।
- अनुच्छेद 326 – वयस्क मताधिकार।
- अनुच्छेद 332 – प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेगा।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए अधिनियम

- विशेष विवाह अधिनियम 1954
- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1965
- प्रसूति सुविधा अधिनियम 1962
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- बाल विवाह अधिनियम 1976
- तलाक अधिनियम 2001
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
- कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2007

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु किये गये प्रयत्न

1. स्त्री-पुरुष की समानता को प्रोत्साहन

स्त्री-पुरुष से किसी भी प्रकार हीन नहीं है। इस विचार को प्रोत्साहन देने हेतु महिलाओं को संवैधानिक अधिकार तथा अधिनियमों के द्वारा उन्हें समाज में पुरुष के बराबर सभी क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा मिलता है। इसके साथ-साथ महिला सुरक्षा हेतु कानून बनाये जा रहे हैं तथा समय-समय पर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज का महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अब बदलते जा रहे हैं।

2. आर्थिक दृष्टि से स्त्री की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन

आर्थिक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों पर निर्भर न रहें इसके लिए महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा, कुटीर उद्योग, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गए हैं। जिनके अन्तर्गत महिलाओं को सिलाई, बुनाई, हस्तकला, नर्सिंग, सिलाई, कुटीर उद्योग आदि कार्यों के प्रशिक्षण द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

3. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जैसे – बालिका शिक्षा हेतु योजनाएँ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना आदि के माध्यम से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक शिक्षा (साक्षरता) का कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

4. सामाजिक कुरीतियों द्वारा सामाजिक कुप्रथाओं का अंत

भारत में महिला समाज लंबे समय से बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक, दहेज, वेश्यावृत्ति आदि कुप्रथाओं से ग्रसित रहा है। इन कुप्रथाओं को समाप्त करने हेतु सरकार एवं समाज के द्वारा विभिन्न कानून बनाए गए तथा सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इन कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

संवैधानिक अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीनकाल से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आंदोलन हुए। ऐसे तीन दौर आये जब महिलाओं की भूमिका एवं समाज पर प्रभाव महत्वपूर्ण रहा।

पहला दौर वैदिक काल था, जहाँ महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त था। दूसरा दौर मध्यकाल था जहाँ महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। तीसरा दौर आधुनिक काल है जहाँ महिलाओं को पुनः अधिकार प्राप्त हुए।

Vol. 14, Sp. Issue: 1, December: 2025
ISSN: (P) 2347-5412 ISSN: (O) 2320-091X

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को पुरुषों के समान समझकर उनके प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना एवं उन्हें सशक्त बनाना ताकि वे अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकें।

संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी आदि क्षेत्रों में अवसर प्राप्त हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तथा महिला अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या 62,37,24,248 (51.53%) तथा महिलाओं की संख्या 58,64,69,174 (48.46%) है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा समाज में उनका योगदान भी बढ़ रहा है।

निष्कर्ष

भारत में महिला अधिकारों हेतु संवैधानिक तथा सामाजिक जागरूकता संबंधी पहल भारतीय समाज के विकास का प्रमुख आधार रही है। भारत में लंबे समय तक महिलाओं की जीवन परिस्थितियाँ अत्यंत कठिन रही हैं, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं को अधिकार एवं सुरक्षा प्राप्त होने के कारण उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

आज महिलाएँ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से महिलाओं का विकास सफलता की ओर अग्रसर है।

संदर्भ

- भारत सरकार. (1950). *भारत का संविधान*।
- अग्रवाल, बी. (1994). *ए फील्ड ऑफ़ वन'स ओन: साउथ एशिया में जेंडर और भूमि अधिकार*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- देसाई, एन., एवं कृष्णराज, एम. (2004). *भारत में महिलाएँ और समाज*। अजंता पब्लिकेशन्स।
- कौर, आर. (2012). भारत में महिला सशक्तिकरण। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च*, 2(2), 45–52।
- शर्मा, आर. (2020). लैंगिक समानता और सामाजिक परिवर्तन। *जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज़*, 8(1), 22–30।